SPACE FOR TAGGING

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE- VII, BANKA
Present:- Atul Veer Singh, Dist. &Addl. Sessions Judge.
A.B.P. Case no. 566 of 2026
CIS Reg. No.- 566 of 2026

SPACE FOR TAGGING

In the matter of
Budhni Devi & Others ……..…..Accused/Petitioners,
versus
State of Bihar…….….Opposite Party.

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with date
30/06/2026		

शंभुगंज थाना वाद संख्या– 78 / 2026
धारा– 126(2), 115(2), 109(1), 118(1), 74, 1303(2), 352, 351(2), 3(5) भा0 न्या0 सं0।
सुनवाई / आदेश की तारीख– 30 / 06 / 2026
अभियुक्त आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता – श्री आनंद देव चौधरी।
राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन– मो0 इकबाल।

प्रस्तुत आदेश अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्तगण 01. बुधनी देवी, 02. सपना देपी, 03. दिलखुश कुमार पासवान, 04. सजीवन पासवान 5. सैलेश कुमार पासवान 6. चंद्र शेखर पासवान द्वारा दाखिल किये गये सुनवाई और आदेश के बिन्दु पर है।

यह मामला शंभुगंज थाना वाद संख्या– 74 / 2026, अंतर्गत धारा– 126(2), 115(2), 109(1), 118(1), 74, 1303(2), 352, 351(2), 3(5) भा0 न्या0 सं0 के अंतर्गत अंकित है।

आवेदक अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित होकर उनके विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उनके द्वारा किसी भी अन्य न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उनका अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक–अभियुक्तगण को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका यह भी कथन है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। उनका यह भी कथन है कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप की धारा– 1126(2), 115(2), 109(1), 118(1), 74, 1303(2), 352, 351(2), 3(5) भा0 न्या0 सं0 अजमानतीय है।

अभियोजन कथानक प्रदीप कुमर पासवान के लिखित आवेदन के अनुसार कांड का वृतांत यह है कि दिनांक 27.01.2026 को समय करीब 5:30 बजे शाम को अवधेश कुमार, बुधनी देवी, सपना देवी, दिलखुश कुमार पासवान, सजीवन पासवान, सैलेश कुमार पासवान, चंद्रशेशर पासवान सूचक की पत्नी रीतू देवी को गाली–गलौज करने लगी तो सूचक की पत्नी दे गाली देने से मना किया तो अभियुक्तगण ने और गंदी–गंदी गाली देने लगे और इसी बीच बुधनी देवी और सपना देवी मिलकर रीतू देवी को मिलकर मारने लगी, तभी सूचक प्रदीप कुमार पासवान रितू देवी का पति दौड़कर आया तो अवधेश पासवान और सजीवन पासवान ने लाठी तथा लोहे के रॉड से माथे पर मार दिया जिससे माथा बुरी तरह से फट गया और 10 से 15 लाठी मारकर सूचक को बेहोश कर दिया तभी सूचक का पिता प्रमोद पासवान आया तो उसे भी रॉड तथा लाठी से मारने लगा तो वह जानबचाकर भागा। इसी बीच रीतू देवी के गले का मंगलसूत्र और कान की बाली छीन लिया जो मिलाकर करीब एक भरी का था।

उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने सूचक एवं उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने जैसा कृत्य किया है।

दूसरी ओर अभियोजन ने अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किये जाने का विरोध किया है।

उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख एवं केस दैनिकी का परिशीलन किया गया। जिसके परिशीलन से प्रतीत होता है कि दानों पक्षकार आपस में गोतिया हैं तथा उनके मध्य आपसी विवाद को लेकर कांड संख्या– 78 / 2026 एवं 86 / 2026 को लेकर पहले से विवाद

SPACE FOR TAGGING

IN THE COURT OF DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE- VII, BANKA
Present:- Atul Veer Singh, Dist. &Addl. Sessions Judge.
A.B.P. Case no. 566 of 2026
CIS Reg. No.- 566 of 2026

SPACE FOR TAGGING

In the matter of
Budhni Devi & Others ……..…..Accused/Petitioners,
versus
State of Bihar…….….Opposite Party.

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with date
30/06/2026		

लंबित चला आ रहा है और उसी को लेकर आपस में गाली–गलौज एवं मारपीट करने लगे जिसमें दोनों पक्षों के लोग जख्मी हुए, मारपीट करने के कारण एक बकरी का बच्चा वादी प्रदीप पासवन के खेत में लगे फसल को खाने के क्रम में उत्पन्न हुआ। झगड़ा को गांव के लोग आकर शांत कराए। केस दैनिकी में कंडिका– 25 में जख्म प्रतिवेदन ज्यादातर साधारण प्रकार के हैं। अभियुक्तों को भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा– 35(3) का लाभ भी दिया गया है। केस दैनिकी में आवेदक अभियुक्तों के विरूद्ध पूर्व से कोई भी आपराधिक इतिहास अंकित नहीं है साथ ही घटना 27.01.2026 की है और सूचक के द्वारा थाने में सूचना एवं एफआईआर 45 दिन के विलम्ब के बाद 09.03.2026 को कराया गया है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण 01. बुधनी देवी, 02. सपना देपी, 03. दिलखुश कुमार पासवान, 04. सजीवन पासवान 5. सैलेश कुमार पासवान 6. चंद्र शेखर पासवान के द्वारा आदेश पारित करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर आवेदक अभियुक्त को 5000 X 1 के समान प्रकार के प्रतिभू के बंधपत्र निष्पादित करने एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482(2) में उल्लिखित शर्तों के अध्ययीन रहते हुए अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है, तद्नुसार उपरोक्त आवेदक अभियुक्तगण 01. बुधनी देवी, 02. सपना देपी, 03. दिलखुश कुमार पासवान, 04. सजीवन पासवान 5. सैलेश कुमार पासवान 6. चंद्र शेखर पासवान की ओर से प्रस्तुत की गई अग्रिम जमानत आवेदन का निष्पादन किया जाता है।

ह0/–
(अतुल वीर सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम,
व्यवहार न्यायालय बांका

ज्ञापांक सं..... दिनांक.....

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम, बांका का कार्यालय

प्रतिलिपि....., बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहायतार्थ हेतु प्रेषित।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम,
व्यवहार न्यायालय बांका